रजिस्ट्री सं० डी०-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
PUBLISHED BY AUTHORITY
प्राधिकार से प्रकाशित

सं० 273] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 8, 1974/कार्तिक 17, 1896

No. 273] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 8, 1974/KARTIKA 17, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है । जिससे कि यह अलग संकलनके रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 8th November 1974

SUBJECT.—*Scheme for the licences of Indian mill-made cotton fabrics and products manufactured out of mill-made/handloom fabrics for exports to Austria upto* 31*st December*, 1974.

No. 38-ETC(PN)/74.—Reference is invited to Public Notice No. 31-ETC(PN)/73 dated 1st October, 1973, and subsequent amendment *vide* Public Notice No. 5-ETC(PN)/74 dated 9th January, 1974, and 22-ETC(PN)/74 dated 21st May, 1974, regarding the Scheme for licensing of Indian millmade Cotton Fabrics, made-ups and readymade garments made out of millmade/handloom fabrics to Austria upto 31st December, 1974.

Paragraph 1 of the Public Notice 5-ETC(PN)/74 dated 9th January, 1974, shall be substituted by the following paragraph:—

(1) The scheme relates to the export of all varieties of mill-made cotton fabrics and products manufactured out of millmade/handloom fabrics including readymade garments from India to Austria upto the licensing period ending 31st December, 1974.

The licensing of exports shall be in terms of the Public Notice No. 35-ETC(PN)/74 dated 27th September, 1974 issued by the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 1974

विषय. — भारतीय मिल-निर्मित सूती वस्त्रों और मिल निर्मित/हथकर्घा निर्मित वस्त्रों से विनिर्मित उत्पादों के 31 दिसम्बर, 1974 तक आस्ट्रिया को निर्यात के लिए लाइसेंस जारी करने के लिये योजना ।

सं० 38–ई०टी०सी० (पी०एन०)/74.—भारतीय मिल निर्मित सूती वस्त्रों, तैयार वस्तुओं और मिल निर्मित/हथकर्घा निर्मित वस्त्रों से निर्मित तैयार पैशाकों के 31 दिसम्बर, 1974 तक आस्ट्रिया को निर्यात के लिए लाइसेंस जारी करने की योजना से सम्बन्धित सार्वजनिक सूचना संख्या : 31–ईटीसी (पीएन)/73, दिनांक 1 अक्तूबर, 1973 और बाद में होने वाले संशोधन देखिए सार्वजनिक सूचना संख्या : 5–ईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 9 जनवरी, 1974 और 22–ईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 21 मई, 1974 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

सार्वजनिक सूचना संख्या : 5–ईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 9 जनवरी, 1974 का पैरा 1 निम्नलिखित पैरा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

(1) यह योजना मिलनिर्मित सूती वस्त्रों की सभी किस्मों और तैयार पोशाकों सहित मिल निर्मित/हथकर्घा निर्मित वस्त्रों से विनिर्मित उत्पादों के 31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त होने वाली लाइसेंस अवधि तक भारत से आस्ट्रिया को निर्यात से सम्बन्धित है ।

निर्यात के लिए लाइसेंस मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना संख्या : 35–ईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 27 सितम्बर, 1974 के अनुसार जारी किए जाएंगे ।

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974